रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति

3171. श्री अभयसिंह एस० भोंसले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में 40 एल.पी.सी.डी. मानदण्ड की सीमा है और साथ ही निजी मकानों में कनैक्शन का भी प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने 40 एल.पी.सी.डी. के वर्तमान मानदंड को 55 एल.पी.सी.डी. करने के लिए तथा निजी मकानों को 30 प्रतिशत कनैक्शन की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या 5 जुलाई 1996 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस अनुरोध पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो संशोधित मानदंडों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 4-5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण जल आपूर्ति के मानक में छूट के लिए वर्तमान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सिफारिश की है। 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के विद्यमान मानदंड के अनुसार देश में सभी कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को शुद्ध पेयजल प्रदान किए जाने के पश्चात् ही इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

वृत्त चित्रों का निर्माण

3172. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वृत्त चित्रों के निर्माण हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने स्वीकृत किए गए और राज्यवार कितने वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया;

(ग) सरकार के पास पिछले पांच महीनों से कितने प्रस्ताव और पटकथाएं लंबित हैं और वृत्त चित्रों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी बाधाएं दूर करके वृत्त चित्रों के तत्काल निर्माण और प्रदर्शन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण सामान्यतया सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के जरिए किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न प्रस्तुतकर्त्ताओं की ओर से वृत्तचित्रों, धारावाहिकों, टेलीफिल्मों आदि के निर्माण के लिए 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से प. बंगाल में स्वच्छता संबंधी दो वृत्तचित्रों को अनुमोदित किया गया। मंत्रालय के पास पहले से उपलब्ध साफ्टवेयर को देखते हुए शेष प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

(घ) इस मंत्रालय की मीडिया संबंधी स्थायी समिति ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्मों के निर्माण और प्रसारण की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

ब्रिटेन और अमरीका द्वारा इराक पर हवाई हमले

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इराक से संबंधित घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारत के इस क्षेत्र के देशों और लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध और गहरी बन्धुता है। हमें इराक के लोगों की तकलीफों के बारे में भारी चिंता है और हमने इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का अनुपालन करते हुए एक-एक करके प्रतिबन्धों को उठा लेने की मांग की है। हमने समय-समय पर उभरे मतभेदों को इराक के साथ संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग की बातचीत में संयम और नरमी के साथ दूर करने की निरन्तर मांग की है।

संयुक्त राज्य अमरीका और यू.के. द्वारा इराक पर किए जा रहे इन हवाई हमलों से भारत सरकार अत्यन्त चिन्तित है और इसकी घोर निन्दा करती है। यह विशेष रूप से खेदजनक बात है कि यह एक तरफा कदम उस समय उठाया गया है जब कि यू.एन.एस.सी.ओ.एम. के अध्यक्ष की रिपोर्ट से उत्पन्न गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने अपनी सिफारिशों और कार्यवाही के वैकल्पिक उपायों के साथ परिषद को भेजी थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सत्र चल रहा था।

इस आक्रमण के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सामूहिक और परामर्शी प्रक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इससे इराक द्वारा परिषद के संगत संकल्पों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए परिषद की योग्यता पर भी प्रश्न चिह्न लगता है। हमारा यह निश्चित मत रहा है कि ऐसी परिस्थिति में बल प्रयोग हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस मुद्दे को शान्तिपूर्ण तरीकों और बातचीत के माध्यम से राजनयिक रूप से हल किए जाने की आवश्यकता है। हमने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन किया है।

हमने संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के वक्तव्य पर गौर किया है जिसमें अद्यतन गतिविधि पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। हम सैन्य कार्यवाही को तुरन्त रोकने और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनयिक प्रयासों को पुन: आरंभ किए जाने की मांग करते हैं।

इराक में भारतीय समुदाय के लगभग 50 व्यक्ति हैं और वे सुरक्षित हैं। हम अपने दूतावास से सम्पर्क बनाए हुए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1913/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एयर लाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर लाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1914/98]

नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 153 जो 28 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित भारतीय नौसेना की कतिपय शाखाओं में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की पात्रता को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1915/98]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1916/98]

(3) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1917/98]

नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना (संशोधन नियम)

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत नगर भूमि